तथा 1/24 हिस्सा की खातेदारी वादी संख्या 1 व 2 के पिता मृतक मुरली पुत्र सेडू के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। जबकि भूमि पैतृक होने एवं सजरा खानदान अनुसार खातेदारी हिस्सानुसार 1/32 हिस्सा वादी संख्या 1 एवं 1/32 हिस्सा वादी संख्या 2 एवं 1/32 हिस्सा वादी संख्या 3 एवं 1/32 हिस्सा वादी संख्या 4 के नाम राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज किया जाना उचित है।

4. प्रतिवादीगण ने इकबालिया जबाव पेश किया है।

अतः वादपत्र डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

आदेश

राजस्व ग्राम गिदावाला पटवार मण्डल सिहोड़ी तहसील श्रीमाधोपुर स्थित भूमि खसरा नंबर 472, 482 लगायत 493, 496 लगायत 507, 512 लगायत 524 कुल किता 38 कुल रकबा 58.56 हैक्टेयर की खातेदारी मे वादीगण के पितागण क्रमशः मृतक भैरू पुत्र सेडू हिस्सा 1/16 एवं मृतक मुरली पुत्र सेडू हिस्सा 1/16 का नाम हजफ किया जाकर इनके स्थान पर 1/32 हिस्सा का वादी संख्या 1 एवं 1/32 का हिस्सा वादी संख्या 2 एवं 1/32 हिस्सा का वादी संख्या 3 एवं 1/32 हिस्सा का वादी संख्या 4 को खातेदार घोषित किया जाता है। एवं भूमि खसरा नंबर 235 रकबा 3.43 हैक्टेयर मे 1/24 हिस्सा की खातेदारी वादी संख्या 3 भगवाना पुत्र भैरू तथा 1/24 हिस्सा की खातेदारी वादी संख्या 4 शंकर पुत्र भैरू तथा 1/24 हिस्सा की खातेदारी वादी संख्या 1 व 2 के पिता मृतक मुरली पुत्र सेडू का नाम हजफ किया जाकर इनके स्थान पर 1/32 हिस्सा का वादी संख्या 1 एवं 1/32 का हिस्सा वादी संख्या 2 एवं 1/32 हिस्सा का वादी संख्या 3 एवं 1/32 हिस्सा का वादी संख्या 4 को खातेदार घोषित किया जाता है। तथा प्रतिवादियागण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वादीगण के हक हिस्सा एवं कब्जा काश्त की भूमि में मजाहमत नहीं करें। तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करें। उक्त आदेशानुसार पर्चा डिक्री मुर्तीब हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(ब्रजेश कुमार)
सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)
श्रीमाधोपुर

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Brejesh Kumar
Date: 2020.10.27 12:18:35 IST
Reason: SelfAttested